



प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक-18-08-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुदान संख्या-31 के राजस्व मद के अंतर्गत गैर वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-625/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2026, दिनांक 17 जुलाई, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु0 26000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि रु0 6500.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-65/2026/1/1328386/2026/001-71-2002-002-5-2023, दिनांक-14/05/2026 द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि रु0 6500.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत द्वितीय किस्त की धनराशि रु0 6500.00 लाख (रुपये पैंसठ करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ एवं वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
 6. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 65,00,00,000 (रुपये पैंसठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050325 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।**
- 5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-62-X-2026-27-दिनांक:11-8-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)

विशेष सचिव।

संख्या-79/2026/1/1435923/2026/002-71-2002-002-5-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।